तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम तारीख हुक्म में
16/12/24	पत्रावली पेश। वास्ते पेश करने जवाब दिनांक - 27/01/2025 को पत्रावली पेश हो। [signature]	
27/1/25	पत्रावली पेश। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से जवाब पेश किया, प्रति वकील प्रार्थी दिलाई जाकर शा. मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या - 2 बावजूद तामिलों के अनु. है। बार² आवाजें दिलवाई गई, अनु. रहे है। अतः अप्रार्थी सं. 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। वास्ते पेश करने जवाब सरकार दिनांक - 6/2/2025 को पत्रावली पेश हो। [signature]	
6/2/25	पत्रावली पेश। जवाब सरकार मूल वाद में अंकित किया गया। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक - 8/5/25 को पेश हो। [signature]	
8/5/25	पत्रावली पेश। वास्ते बहस दिनांक - 19/06/25 को पेश हो। [signature]	
19/6/25	पत्रावली पेश। बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक - 20/06/2025 को पेश हो। [signature]	
20/6/25	पत्रावली पेश। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया की विवादित भूमि शामलाती भूमि है, जिसके प्रत्येक हिस्से पर हर सह खातेदार का बराबर हक/अधिकार निहित है। ये बिना बटवारे करवाये ख.न. 1410 पर निर्माण करने	

नम्बर व तारीख अहकाम हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पर आमादा है। बिना विभाजन करवाये उनको निर्माण करने का अधिकार नहीं है। इसके खण्डन मे वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया की विवादित भूमि में हिस्सा तय है। अप्रार्थी स० 1 का 1/2 हिस्सा है। कोई भी सहखातेदार अपने हिस्से की भूमि को बेचान कर सकता है। बिना बटवारे के भी हिस्से का बेचान किया जा सकता है। इनको प्रा० पत्र सहखातेदार के विरूद्ध चलने योग्य नहीं है।	
	प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने हेतु निर्धारित बिन्दुओं पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्नानुसार है :-	
1.	प्रथम दृष्टया मामला :- विवादित भूमि खाता स० 356 का ख० न० 1414 अन्य ख० न० प्रार्थीगण व अप्रार्थी स० 1 गोपाल की सहखातेदारी भूमि है। सहखातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर बराबर हक व अधिकार निहित होते है। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज / साक्ष्य पेश नहीं किये है, जिससे विवादित भूमि मे से बेचान होना व निर्माण करना प्रकट हो। जिस कारण मामला प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे नहीं बन रहा है।	
2.	सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त :- विवादित भूमि सहखातेदारी मे स्थित होने से व निर्माण / बेचान बाबत कोई साक्ष्य पेश नहीं करने से सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त का सिद्धान्त प्रार्थीगण के हक मे नहीं बन रहा है।	
3.	अपूरणीय क्षति की सम्भावना :- विवादित भूमि मे प्रार्थीगण सहखातेदार है अन्य सहखातेदार अप्रार्थी स० 1 द्वारा अपने हिस्से की भूमि	

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	का बैचान करने से प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति की सम्भावना नही बन रही है।
	उपरोक्त बिन्दुवार विवेचन से मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में नही होने, सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के हक मे नही होने, प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति की सम्भावना नही होने से प्रा०पत्र प्रार्थीगण खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर शामिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।
	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली